समाचार

लाकडाउन उल्लंघन पर लगा 5400 रूपये का अर्थदण्ड

(बेवजह घूमने, मास्क न लगाने व दुकान खोलने पर की गई कार्यवाही)

कोरबा 16 अप्रैल 2021 –नगर पालिक निगम कोरबा क्षेत्रांतर्गत आज विभिन्न जोनों में लाकडाउन के दौरान बेवजह घूमने, मास्क न लगाने, दुकान खोल कर लाकडाउन का उल्लंघन करने आदि पर प्रकरणों पर कार्यवाही निगम अमले ने पुलिस प्रशासन के सहयोग से संबंधितों पर 5400 रूपये का अर्थदण्ड लगाया तथा उन्हें लाकडाउन का पालन करने हेतु कड़ी हिदायत दी।

कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रसार को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती किरण कौशल द्वारा 12 अप्रैल से लाकडाउन प्रभावशील कर दिया गया है तथा लाकडाउन का कड़ाई से पालन किए जाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। आयुक्त श्री एस.जयवर्धन के मार्गदर्शन में नगर पालिक निगम कोरबा के मैदानी अमले द्वारा अपने–अपने जोन में सतर्क नजर रखी जा रही है तथा जहां कही भी लाकडाउन का उल्लंघन करते पाया जा रहा है, वहां पुलिस प्रशासन के सहयोग से निगम अमले द्वारा कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में आज टी.पी. नगर, कोसाबाड़ी, बालको व दर्री जोन में लाकडाउन उल्लंघन पर कार्यवाही की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार दर्री जोन में 2750 रूपये, कोसाबाड़ी जोनांतर्गत 1000 रूपये व टी.पी.नगर जोनांतर्गत 800 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया। इसी प्रकार बालको जोन में 02 छोटे दुकानदारों द्वारा अपनी दुकानें खोलकर लाकडाउन का उल्लंघन किया जा रहा था, जिस पर निगम अमले ने 800 रूपये का अर्थदण्ड लगाया।